बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-800001

(पंजीयन सं.-633/2003)

Website : basabihar.in, E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,

सुशील कुमार

मो.-9431091417

E-mail : shushilkumar09@gmail.com

महासचिव,

खुर्शीद अनवर सिद्दीकी

मो.-9771048046

पत्रांक :.....34.....

दिनांक :.....21-7-2017.....

सेवा में,

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार पटना।

विषय :– कालावधि के अनुरूप प्रोन्नति देने के संबंध में।

प्रसंग :– सरकार के संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प संख्या–1800 दिनांक 09.06.2011

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में संकल्प के कंडिका–(iv) में वर्णित है कि "निर्धारित न्यूनतम कालावधि पूरा नहीं हो सकने के कारण जहाँ प्रोन्नति देना सम्भव नहीं हो पाता हो, वहाँ धारित पद एवं उससे एक स्तर के नीचे के पद के लिए निर्धारित कालावधि को जोड़कर दोनों पदों/कोटि–वेतनों–(Grade-Pay) की कुल कालावधि यदि पूरी होती है और धारित पद पर न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव पूरा हो जाता है तो ऐसे मामलों में प्रोन्नति दी जा सकती है। दृष्टान्तस्वरूप रूपये 6600/–रूपये से 7600/–रूपये के कोटि–वेतन –(Grade-Pay) में प्रोन्नति के लिए कालावधि 5 वर्ष निर्धारित है और रूपये 7600/–रूपये से 8700/– के कोटि–वेतन–(Grade-Pay) प्रोन्नति के लिए 5 वर्ष की कालावधि निर्धारित है। यदि रूपये 7600/– के कोटि–वेतन–(Grade-Pay) से रूपये 8700/–रूपये के कोटि–वेतन–(Grade-Pay) में प्रोन्नति विचारणीय हो तो रूपये 7600/–रूपये के कोटि–वेतन–(Grade-Pay) में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्राप्त रहने की स्थिति में निम्न कोटि–वेतन–(Grade-Pay) (या अपुनरीक्षित वेतनमान) वाले पद की कार्यावधि और धारित कोटि–वेतन–(Grade-Pay) (रू0 7600/–) के पद की कार्यावधि जोड़कर कुल 10 वर्ष की कालावधि पूरा होने पर प्रोन्नति दी जा सकेगी"।

उपरोक्त के आलोक में उप सचिव में गत वर्ष प्रोन्नत कोटि क्रमांक–875 से 901 एवं पूर्व में उप सचिव स्तर में प्रोन्नत कोटि क्रमांक 889 से 892 एवं 895 तक के पदाधिकारी का कालावधि उपरोक्त वर्णित प्रावधान के तहत पूर्ण हो चुका है।

अतः संघ का अनुरोध है कि वर्णित पदाधिकारी को अपर समाहर्त्ता स्तर में प्रोन्नति देने की कार्रवाई हेतु सम्बन्धित को निदेश देने की कृपा की जाय।

खुर्शीद अनवर सिद्दीकी,
महासचिव

सुशील कुमार,
अध्यक्ष।